राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (255) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/विविध/2015–16 जयपुर, दि. 13 सितम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्रों पर अनाधिकृत रूप से विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने पर जारी प्रमाण–पत्र की 1 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित करने की शर्त बाबत्।

प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2017 एवं 21.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका एवं शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 17.09.2014 तथा स्थायी आदेश संख्या 32/2017 दिनांक 13.04.2017 के द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी करने के उपरान्त भी उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्रों पर अनाधिकृत रूप से विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने पर जारी प्रमाण–पत्र की 1 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित करने की शर्त (बिन्दु संख्या–7) विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2016 द्वारा लगायी गई थी। इसी क्रम में उक्त प्रावधान अनुसार विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2017 की शर्त संख्या 7 स्वतः ही निष्प्रभावी होने बाबत् प्रासंगिक पत्र दिनांक 21.07.2017 के द्वारा निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्रों पर अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षर करने पर जारी प्रमाण–पत्र की 1 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित की जावेगी।

12.9.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग को उनके अ.शा. टीप क्रमांक एफ. 28( )पंरावि/प्रशा.–2/रा.पं.राज सेवा परिषद्/ज्ञापन/2017/2771 दिनांक 11.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/ग्रावि/(प्रो0) महात्मा गॉधी नरेगा/ग्रामीण विकास/पंचायतीराज विभाग।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी–I/एसएपी–II/ईजीएस), ग्रामीण विकास।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
11. अधिशाषी अभियंता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर उपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)